फर्द अहकाम

न्यायालय — उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़, अलवर (राज.)

कालूराम वगैरह बनाम — कैलाश वगैरह

मुकदमा संख्या / वर्ष : 239 / 2019

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/03/19	पत्रावली पेश, उभय वकील उभय पक्ष उप०। पत्रावली आदेश के विचारार्थ है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस को श्रवण किया गया। अतः पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, राजीनामा तथा दस्तावेजों के अवलोकन करने पर वादीगणों का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से कम हो तथा बाद तामील होकर दफ्तर दाखिल हो। उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
239 / 2019	24 / 09 / 2019	28.03.2024

1. कालूराम पुत्र रामेश्वर पौत्र धन्ना उर्फ चन्दा
2. शिम्भूदयाल पुत्र रामेश्वर पौत्र धन्ना उर्फ चन्दा (मृतक दौराने वाद)
   2/1. गिर्राज पुत्र शिम्भूदयाल
   2/2. देशराज पुत्र शिम्भूदयाल
   2/3 सावित्रि पुत्र शिम्भूदयाल
3. प्रभाती लाल पुत्र मांगीलाल पौत्र धन्ना उर्फ चन्दा
4. महेन्द्र पुत्र मांगीलाल पौत्र धन्ना उर्फ चन्दा
5. हनुमान पुत्र मांगीलाल पौत्र धन्ना उर्फ चन्दा

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम खरकडा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

कैलाश पुत्र भागीरथ पौत्र छाजू

राधेश्याम पुत्र भागीरथ पौत्र छाजू

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम खरकडा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री राजेश कुमार पारीक :– वकील वादीगण
श्री महेश शर्मा :– वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2

दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय:–

प्रकरण में मूल पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जमवारामगढ, जयपुर से प्राप्त होने पर प्रकरण न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया गया। जो संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारीक के पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक पूर्वक अधिकारी छाजू, धन्ना उर्फ चन्दा पुत्रान बलदेव की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 155 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 154 रकबा 2 बिस्वा स्थित ग्राम पालडी कलां तहसील जमवारामगढ में स्थित है जिसके हाल खसरा नम्बर 187 रकबा 1.0900 है0 एवं खसरा नम्बर 183 रकबा 0.0300है0 गै0मु0चाह है जो वादग्रस्त भूमि है। खसरा नम्बर 155 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा में से प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी भागीरथ द्वारा बेचान की गई भूमि खसरा नम्बर 155/184 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 155/185 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा विवादित भूमि नही है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 155 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 154 रकबा 2 बिस्वा में

बलदेव के बाद छाजू एवं धन्ना पुत्र बलदेव आधे–आधे के खातेदार हुये छाजू के कोई प्राकृतिक पुत्र नही था इसलिए धन्ना के पुत्र भागीरथ को छाजू ने गोद ले लिया और छाजू के फौत होने पर भागीरथ ने उक्त भूमियो मे से अपना समस्त हिस्सा बैचान कर दिया जो केतागण श्रवण, लक्ष्मीनारायण, रामू पुत्र परत्या के खाते में खसरानम्बर 155/184 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा एवं नन्दा पुत्र कल्याण के खाते मे खसरा नम्बर 155/185 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा दर्ज हुई और अपना हिस्सा 1/2 का बैचान करने के बाद वादीगण के हकपूर्वाधिकारी धन्न उर्फ चन्दा का हिस्सा शेष रहा खसरा नम्बर 155 रकबा 2 बिस्वा जिसके वर्तमान में खसरा नम्बर 183 रकबा 0.0300 है0 एवं खसरा नम्बर 155 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 187 रकबा 1.0900 है0 में विभक्त किया गया परन्तु प्रतिवादीगण के पिता भागीरथ ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का बैचान करने के बाद भी धन्ना के हिस्से की भूमि को अपने ही नाम दर्ज करवा ली जो संवत् 2024 से 30 के रिकार्ड से जाहिर है। भागीरथ को रामेश्वर, मांगीलाल रिकार्ड में हो रहे इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु बोलते रहे वह आश्वान देता रहा इसके बाद कैलाश एवं राधेश्याम ने भी वादीगण को आश्वासन दिया परन्तु हाल ही हुये राजस्व अभियानों के दौरान भी जब सहमति से रिकार्ड दुरूस्त नही करया गया और अन्तिम रूप से दिनांक 31.07.2015 को प्रतिवादीगण ने दुरूस्ती करवाने से मना करते हुये भूमियां पर जबरन कब्जा करने की एवं हस्तान्तकरण करने की धमकीयां दी तो वादीगण को अपने हक की घोषणा के लिए यह वाद पेश करना आवश्यक हो गया। उक्त वादग्रस्त भूमियों से अपना सम्पूर्ण हिस्से का बैचान करने के बाद भागीरथ का कोई हिस्सा शेष नही था परन्तु भागीरथ ने धन्ना के हिस्से की भूमि को भी अपने नाम दर्ज करवा लिया और वादीगण के हकपूर्णधिकारी धन्ना के हिस्से की भूमि को भी राजस्व कर्मचारियों ने भागीरथ के नाम दर्ज कर विधिक भूल की है एवं शून्य प्रभावी कार्यवाही के तहत धन्ना के हिस्से की भूमि को खातेदारी भूमि को भी भागीरथ के नाम दर्ज कर दी जबकि भागीरथ के हिस्से की भूमि का हस्तान्तरण किया जाने के बाद छाजू, भागीरथ या उसके वारित का कोई हक उक्त भूमियों में शेष नही रहा जो शेष भूमि खसरा नम्बर 154 रकबा 2 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 155 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा शेष थी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 183 रकबा 0.0300है0 व खसरा नम्बर 187 रकबा 1.0900है0 वह धन्ना की थी जो धन्ना के फौत होने पर रामेश्वर, मांगीलाल की और तत्पश्चात वादीगण के हिस्से एवं खातेदारी तथा कब्जे काश्त की भूम है जिस पर साधिकार वादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार काश्त कर रहे है उक्त भूमि में हिस्सा 1/2 वादी संख्या 1 व 2 तथा हिस्सा 1/2 वादी संख्या 3 से 5 के खातेदार काश्तकार है तथा विधि रूप से खातेदारी अधिकार निहित है रिकार्ड में शून्य प्रभावी कार्यवाही के तहत भागीरथ तत्पश्चात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने का कोई विपरीत प्रभाव वादीगण के अधिकारो पर नही पडता। वादीगण अधिकारी है किवह अपने पैतृक भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये एवं अपने निहि खातेदारी अधिकारों की भूमि के रिकार्ड में अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाये तथा प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये। वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बावत घोषणा खातेदारी डिकी किया जाकर उक्त वादग्रस्त भूमियां खसरा नम्बर 183 रकबा 0.0300है0 व खसरा नम्बर 187 रकबा 1.0900 है0 ग्राम पालडी कलां तहसील जमवारामगढ में वादी संख्या 1 व 2 को हिस्सा 1/2 एवं वादी संख्या 3 से 5 को हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में से हजफ कर वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा प्रतिवादीगणो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावें कि वह उक्त भूमियो में वादीगण को किसी प्रकार की दखल उत्पन्न ना करें।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभय पक्षों ने अपनी बहस में पत्रावली में पूर्व में प्रस्तुत राजीनामें में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुऐ निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में विवादित भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 1.0900 है0, 183 रकबा 0.0300है0 के संबध में हम दोनों पक्षों के मध्य आपसी भाई चारें से एवं लोक अदालत की भावना से मिल बैठकर राजीनामा कर लिया गया है। दोनों पक्षों के आपसी राजीनामें अनुसार विवादित खसरा नम्बर 187 रकबा 1.0900 है0, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.0300है0 भूमि में वादीगण सं0 1 व 2 का संयुक्त हिस्सा 1/4 वादीगण 3 लगायत 5 का संयुक्त हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 का संयुक्त हिस्सा 1/2 अनुसार हक खातेदारी घोषित करने हेतु आपसी सहमति हो चुकी है। जिसके अनुसार वाद निर्णित कर डिकी कर दिया जावें तो पक्षकारों को कतई ही कोई आपत्ति नही है। विवादित भूमियों में उभय पक्षों के मध्य उक्त वर्णित हिस्सों अनुसार निर्णय कर डिकी फरमाना अपेक्षित है। जिसमें कोई आपत्ति नही है। इस वाद में विवादित भूमियों के साबिक नम्बर खसरा नम्बर 155 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से पूर्व विकय भूमि रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा के संबध में आज के बाद वादीगण कोई भी वाद कलेम, ऐतराज, उजदारी, अनुतोष, मुजराई इत्यादित हेतु न्यायालय में वाद विवाद, चाराजोंही नही करने हेतु अपने को वचनबद्ध करते है, अर्थात खसरा नम्बर 155 की भूमि में अब से पूर्व का कोई विवाद नही करेगे। अतः दोनों पक्षों अनुसार राजीनामा आवेदन प्रस्तुत कर पुनः निवेदन है कि उक्त वर्णित मद नं0 2 में चाहे गये अनुतोष अनुसार वाद निर्णय कर डिकी कर पालनार्थ आदेश जारी दिया जावें।

3/3

अतः वकील उभय पक्षों की बहस सुनने, पत्रावली मे उपलब्ध वाद पत्र, राजीनामा तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने पर वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर ग्राम पालडी कलां, पटवार हल्का खरकडा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 183 रकबा 0.0300 है0 व खसरा नम्बर 187 रकबा 1.0900 हैक्टेयर का मुताबिक राजीनामे अनुसार वादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त हिस्सा 1/4 व वादी संख्या 3 लगायत 5 का संयुक्त हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 का संयुक्त हिस्सा 1/2 अनुसार हक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि यदि कोई पंजीयन शुल्क/स्टाम्प शुल्क/अन्य कोई शुल्क बनता है तो वादीगणों से नियमानुसार जमा करवावें तदूपरान्त राजस्व रिकार्ड मे खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें। तद्नुसार डिकी जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 28.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबताई

(आ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण

कालू वगै0 बनाम कैलाश वगै0

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नं0 239/2019 दिनांक 28.03.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी श्री राजेश कुमार पारीक वकील वादी व श्री महेश शर्मा वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर ग्राम पालडी कलां, पटवार हल्का खरकडा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर मे स्थित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 183 रकबा 0.0300 है0 व खसरा नम्बर 187 रकबा 1.0900 हैक्टेयर का मुताबिक राजीनामें अनुसार वादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त हिस्सा 1/4 व वादी संख्या 3 लगायत 5 का संयुक्त हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 का संयुक्त हिस्सा 1/2 अनुसार हक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि यदि कोई पंजीयन शुल्क/स्टाम्प शुल्क/अन्य कोई शुल्क बनता है तो वादीगणों से नियमानुसार जमा करवावें तदूपरान्त राजस्व रिकार्ड मे खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें।

डिक्री दिनांक 28.03.2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा		
ुदई	रुपये	पैसे
टाम्प वकालतनामा		
टाम्प वजूह सबुत		
हन्तानावकील		
वर्चा गवाहान		
वतहजराय		
मनामा		
ुत0		
मिलान		

स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान		
ववतहजराय		
हुकमनामा		
मुत0		
मिलान		

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ
जमवारामगढ